

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 4465**  
दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए  
**जल जीवन मिशन-हर घर नल कार्यक्रम का प्रभाव**

**4465. श्री १यामकुमार दौलत बर्वे:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने जल जीवन मिशन-हर घर नल कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) महाराष्ट्र में उक्त मिशन के आरंभ से इसके अंतर्गत जिलावार कुल कितने परिवार शामिल किए गए हैं;
- (ग) महाराष्ट्र में उक्त मिशन के अंतर्गत गांवों में शामिल किए गए और नल-जल कनेक्शन प्रदान किए गए परिवारों का जिलावार, विशेषकर नागपुर जिले के संदर्भ में, ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या उक्त मिशन राज्यों के परामर्श से सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार प्रगति कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति  
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार, अगस्त 2019 से, राज्यों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल जल को कार्यान्वित कर रही है।

जल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

इसके अलावा, जेजेएम के तहत, यह विभाग नियमित रूप से एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से 'नल कनेक्शनों का कार्यशीलता मूल्यांकन' करता है। मूल्यांकन कार्य के तहत, नल कनेक्शन की कार्यशीलता का मूल्यांकन तीन मापदंडों अर्थात् मात्रा (55 एलपीसीडी या अधिक), गुणवत्ता और नियमितता अर्थात् एक वर्ष में सभी 12 महीनों के लिए या दैनिक आधार पर जल की आपूर्ति हेतु किया जाता है। इन सभी मापदंडों को विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार पारिवारिक नल जल कनेक्शन की कार्यशीलता को परिभाषित करने के लिए लिया जाता है। वर्ष 2022 में किए गए इस तरह के पिछले मूल्यांकन के निष्कर्षों के अनुसार,

राष्ट्रीय स्तर पर, देश भर के 13,303 गांवों के कुल 3.01 लाख परिवारों (एचएच) को यादृच्छक रूप से कवर किया गया था।

इन परिवारों में से 86% परिवारों के नल कनेक्शन कार्यरत पाए गए जिनमें से 85% परिवारों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी, 87% परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति की गई थी और 80% परिवारों को नियमित रूप से पूर्ण जल आपूर्ति प्राप्त करते हुए पाया गया था। मूल्यांकन में पाया गया है कि 62 प्रतिशत परिवारों के पास उनके परिसर के भीतर पूर्णतया कार्यशील नल जल कनेक्शन हैं। मूल्यांकन की रिपोर्ट पब्लिक डॉमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

[https://jaljeevanmission.gov.in/sites/default/files/2022-10/national\\_report\\_of\\_functionality\\_assessment\\_2022.pdf](https://jaljeevanmission.gov.in/sites/default/files/2022-10/national_report_of_functionality_assessment_2022.pdf)

कार्यशीलता मूल्यांकन सर्वेक्षण की रिपोर्ट को यथाशीघ्र सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता है।

(ख) और (ग): भारत सरकार अगस्त, 2019 से महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन कार्यान्वित कर रही है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन के प्रारंभ से नागपुर जिले के ग्रामीण परिवारों सहित घरों में नल जल आपूर्ति प्राप्त करने वाले ग्रामीण परिवारों की जिला-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

(घ): पेयजल राज्य का विषय है और पेयजल आपूर्ति स्कीमों/परियोजनाओं की आयोजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार का है। जेजेएम के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) तथा जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) क्रमशः राज्य और जिला स्तर पर जल जीवन मिशन के समग्र कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, पेयजल और स्वच्छता विभाग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पेयजल आपूर्ति स्कीमों को लागू करने के लिए वित्तीय, नीतिगत मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के शुभारंभ के बाद से देश में ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (~17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 24.03.2025 तक, लगभग 12.31 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 24.03.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.54 करोड़ (80.26%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

\*\*\*

दिनांक 27.03.2025 को उत्तर हेतु नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4465 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	जिला	कुल ग्रामीण परिवार	दिनांक 15.8.2019 तक नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार		आज की तारीख में नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	%	संख्या	%
1	अहमदनगर	7,99,754	97,417	12.18	7,15,526	89.47
2	अकोला	2,48,458	62,828	25.29	2,18,436	87.92
3	अमरावती	4,33,499	2,14,499	49.48	4,27,403	98.59
4	बीड़	4,72,732	82,249	17.40	3,64,226	77.05
5	भंडारा	2,56,684	82,426	32.11	2,23,307	87.00
7	बुलढाणा	4,48,293	1,93,121	43.08	4,23,639	94.50
8	चंद्रपुर	3,95,251	94,069	23.80	3,57,439	90.43
9	छत्रपति संभाजीनगर	4,88,084	2,06,238	42.25	4,19,919	86.03
10	धाराशाव	2,88,559	1,17,555	40.74	2,51,918	87.30
11	धुले	3,04,035	1,93,790	63.74	3,02,780	99.59
12	गढ़चिरौली	2,42,119	21,384	8.83	2,22,641	91.96
13	गोंदिया	3,07,730	62,859	20.43	2,50,705	81.47
14	हिंगोली	2,14,938	37,291	17.35	1,77,731	82.69
15	जलगांव	6,90,913	3,97,945	57.60	6,90,774	99.98
16	जालना	3,00,063	1,68,567	56.18	2,99,846	99.93
17	कोल्हापुर	6,84,162	3,07,469	44.94	6,80,979	99.53
19	लातुर	3,74,582	1,65,992	44.31	3,66,027	97.72
20	नागपुर	3,76,864	1,36,511	36.22	3,67,142	97.42
21	नांदेड़	5,36,765	92,718	17.27	4,82,403	89.87
22	नंदुरबार	3,62,721	52,665	14.52	2,15,549	59.43
23	नासिक	7,18,369	1,71,350	23.85	6,66,620	92.80
24	पालघर	4,52,043	41,349	9.15	3,14,887	69.66
25	परभणी	2,99,744	80,635	26.90	2,54,240	84.82
26	पुणे	8,95,107	3,42,698	38.29	7,62,127	85.14
27	रायगढ़	5,48,620	2,70,053	49.22	4,90,792	89.46
28	रत्नागिरी	4,48,354	1,46,474	32.67	3,86,080	86.11
29	सांगली	4,59,048	1,41,401	30.80	4,03,570	87.91
30	सतारा	6,18,518	2,87,355	46.46	5,70,265	92.20
31	सिंधुरुर्ग	1,93,373	69,991	36.19	1,60,412	82.95
32	सोलापुर	5,77,245	2,15,657	37.36	5,76,668	99.90
33	ठाणे	2,61,271	66,075	25.29	1,91,131	73.15
34	वर्धा	2,38,877	1,08,263	45.32	2,34,838	98.31
35	वारिशम	2,20,115	50,012	22.72	1,97,201	89.59
36	यवतमाल	5,22,884	64,926	12.42	4,13,707	79.12
	<b>कुल</b>	<b>1,46,79,774</b>	<b>48,43,832</b>	<b>33.00</b>	<b>1,30,80,928</b>	<b>89.11</b>

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस